सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा निम्नानुसार 17 विंदुओं पर मैन्युअल तैयार किया गया जो इस प्रकार हैः—

1— संस्था का विवरण कार्य एवं कर्तव्यः—

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (जिसे एत्स्मिन पश्चात संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 6(1)के अनुसार छ.ग.शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बिलासपुर का गठन नवंबर 2002 में किया गया है।

अधिनियम 1987 की धारा 7(1) के अनुसार राज्य प्राधिकरण,केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों को प्रभावशील करने के लिए दायित्व का निर्वहन करती है।

अधिनियम की धारा (7)2 के अनुसार राज्य प्राधिकरण के कार्य निानुसार हैः—

अ) अधिनियम की धारा 12 में निर्धारित की गई पात्रतानुसार पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा प्रदान करती है।

ब) लोक अदालतों जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय सहित समस्त अधीनस्थ न्यायालयीन मामलों के लिए लोक अदालतों का गठन एवं संचालन करना।

स) निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करना।

द) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय परामर्श से विनियमो द्वारा नियत किया जावे।

राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के साथ समन्वयः—

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य प्राधिकरण अपने कृत्यों निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों,गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं,विश्व विद्यालयों एवं निर्धन व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य से संवर्धन कार्य मे लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय से समुचित रुप से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों से मार्गदर्शित होगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण लिखित रुप में दे।

2— अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तब्यः—

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यालय प्रमुख के रुप में सदस्य सचिव जो उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के परामर्श अनुसार शासन द्वारा की जाती है जो यहॉ पदस्थ होते हैं और उन्हें प्राधिकरण के शक्तियों का निर्वहन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होते हैं उनके सामान्य नियंत्रण में किया जाता है प्रशासनिक शक्तियॉ कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होती हैं संस्था में सदस्य सचिव की सचिवीय सहायता के लिए अन्य अधिकारी/कर्मचारी रहते हैं जिन्हे कोई शक्ति प्राप्त नही है।

3— निर्णय लेने की प्रक्रियाः—

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2003 के नियम 3(ख)के अनुसार राज्य प्राधिकरण की बैठक प्रमुख संरक्षक या कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है और प्राधिकरण की बैठक में ही निर्णय लिए जाते है। पर्यवेक्षक एवं जवाबदेही का कोई चैनल नही है।

पृष्ठ क्रमांक....2

4– कार्य संपादित के तरीके:–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 8 (क) के अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा 9 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा 11(क) के अंतर्गत तालुक विधिक सेवा समिति के सहयोग तथा धारा 8 के अंतर्गत अन्य शासकीय संगठन एवं गैर सामाजिक संगठनों के सहयोग एवं सामान्य योजनाओं का क्रियान्वयन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

5– कार्य संपादित करने हेतु अधिनियम,नियम,विनियम,एवं स्कीम:–

1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987
2.नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010
3.नालसा (लोक अदालत) विनियम 2009
4.लोक अदालत स्कीम 2003 (SLSA)
5..स्थायी लोक अदालत(अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें) नियम 2003 (केन्द्रीय)
6.सेवा निवृत्त के पश्चात परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत स्कीम 2003 (SLSA)
7.नालसा (विधिक सहायता क्लीनिक) विनियम 2011
8.नालसा पैरा लीगल वालेंटियर्स योजना (पुनरीक्षित) एवं ट्रेनिंग माड्युल
9.छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 2002
10.छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2003
11.छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती)नियम 2012
12 अभिरक्षा में व्यक्ति की विधिक सहायता स्कीम 2003 (SLSA)
13 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 (SLSA)
14 यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना 2018 (SLSA)
15 नालसा(आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं)योजना 2019
16 नालसा(तस्करी और वाणिज्यिक यौन शेषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं)योजना 2015
17 नालसा(असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं)योजना 2015
18 नालसा(बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं)यो.2015
19 नालसा(मानसिक रुप से बीमार और मानसिक रुप से विकालांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015
20 नालसा(गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं)योजना 2015
21 नालसा(आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं)यो. 2015
22 नालसा(नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं)यो. 2015
23 नालसा(वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना2016
24 नालसा(एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना 2016

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित अधिनियम,नियमों,विनियमों एवं योजनाओं के अनुसार तथा एत्द संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार दायित्वों का निर्वहन एवं कार्यों का संपादन किया जाता है तथा अभिलेखों का संग्रहण किया जाता है।

6– अभिलेख का वर्गीकरणः–

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण में विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित सॉख्यिकी जानकारी तथा राज्य शासन एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान राशि के आय–व्यय का विवरण पत्रक अभिलेख के रुप में संधारित किया जाता है।

7– नीतिगत विषयो पर परामर्श की व्यंवस्थाः–

नीति निर्धारण एवं प्रशासन के संबंध में सामान्य जन के लिए किसी भी प्रकार के परामर्श या अभ्यावेदन की व्यवस्था नही है। राज्य प्राधिकरण में अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पदेन सदस्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य होते है जो कि प्राधिकरण की बैठक में नीतिगत निर्णय के संबंध में अपने विचार/सुझाव रखते हैं।

8– बोर्ड,परिषद एवं समितियॉः–

विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 6 (2) के अंतर्गत सहपठित छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गठित है।

9– अधिकारी कर्मचारियों की डायरेक्ट्रीः–

मेन्युअल के साथ संलग्न परिशिष्ट A अनुसार

10– अधिकारियों कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक का विवरण परिशिष्ट B के अनुसार।

11– बजट प्रावधानः–

योजना का विवरण अनुमानित व्यय के संबंध में प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट C के अनुसार।

12– अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की विधिः–

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर किसी अन्य गैर शासकीय संगठनों को अनुदान दिये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नही है।

13– छूट आज्ञप्ति एवं अधिकार पत्र किसी को भी संस्था द्वारा जारी नही किया गया है।

पृष्ठ 04..........

14— इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचनाः—

छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बिलासपुर में विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी इलेक्ट्रानिक फार्म में कंम्प्यूटर पर उपलब्ध है।

15— लायब्रेरीः— जन सामान्य के उपयोग हेतु इस प्राधिकरण में लायब्रेरी की व्यवस्था नही है, तथापि छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय में ''संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य आधारित युवा सशक्तिकरण केन्द्र'' संचालित है जिसके निमित्त लायब्रेरी स्थापित है।

16— सूचना अधिकारी का नाम एवं पद विवरणः—

छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बिलासपुर में कार्यरत,विधिक सहायता अधिकारी, श्री शशांक दुबे को जन सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रोटोकाल अधिकारी श्री रामहित पाण्डेय को सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी,सदस्य सचिव,छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पदाभिहित किया गया है।

17— ऐसी अन्य जानकारियाँ जो विहित की जावेः—

कोई अन्य जानकारी विहित नही की गई है।

जन सूचना अधिकारी
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर

परिशिष्ट क्र. A-B

SCHEDULE - I

[See Rule 4 (1) and 5]

(A) C.G. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY					
Sr. No.	Name of Posts included in the service	Classification	No. of Post	Pay Scale	
				Basic Pay in Existing Pay Scale	Revised Pay Band & Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Secretary Belonging to the Chhattisgarh Higher, Judicial Service in the cadre of District Judge	Class-I	01	Own Scale of Pay	Own Scale of Pay
2.	Dy. Secretary Belonging to the Chhattisgarh Lower, Judicial Service in the cadre of Chief Judicial Magistrate.	Class-I	01	Own Scale of Pay	Own Scale of Pay
3.	Under Secretary Belonging to the Chhattisgarh Lower, Judicial Service in the cadre of Civil Judge Class-I	Class-II	01	Own Scale of Pay	Own Scale of Pay
4.	Account Officer	Class-II	01	8000	15600-39100 Grade Pay 540[illegible]
5.	Private Secretary to Executive Chairman	Class-II	01	6500	9300-34800 Grade Pay 4400
6.	Legal Aid Officer	Class-II	17	6500	9300-34800 Grade Pay 4400
7.	Audit - Officer	Class-II	01	6500	9300-34800 Grade Pay 4400
8.	Superintendent	Class-III	01	5500	9300-34800 Grade Pay 4300
9.	Personal Assistant or Stenographer to Secretary	Class-III	01	4500	5200-20200 Grade Pay 2800

15

Assistant Auditor	Class-III	01	4500	5200-20200 Grade Pay 2800
Accountant	Class-III	01	4000	5200-20200 Grade Pay 2400
Assistant Protocol Officer	Class-III	01	4000	5200-20200 Grade Pay 2400
Assistant Grade-2	Class-III	04	4000	5200-20200 Grade Pay 2400
Assistant Grade-3	Class-III	15	3050	5200-20200 Grade Pay 1900
Computer Operator	Class-III	02	3050	5200-20200 Grade Pay 1900
Driver	Class-III	02	3050	5200-20200 Grade Pay 1900
		01	Collector Rate	Collector Rate
Daftari	Class-IV	01	2610	4750-7440 Grade Pay 1400
Peon	Class-IV	12	2550	4750-7440 Grade Pay 1300
Farrash	Class-IV	01	2550	4750-7440 Grade Pay 1300
Waterman	Class-IV	01	2550	4750-7440 Grade Pay 1300
Watchman	Class-IV	01	2550	4750-7440 Grade Pay 1300
Sweeper	Class-IV	01	2550	4750-7440 Grade Pay 1300
Process Server	Class-IV	06	2550	4750-7440 Grade Pay 1300

परिशिष्ट क्र.

छत्तीसगढ़ शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 492002

क्र. 3531 /21-बजट(आबंटन)/छ.ग./19-20 अटल नगर रायपुर, दिनांक : /04/2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : योजना क्रमांक 3255 - विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2019-20 हेतु आबंटन ।

--000--

विषयान्तर्गत **मांग संख्या 29 - 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, (60) - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम, 200 - अन्य योजनाएं, 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य), 3255 - विधिक सहायता तथा विधिक सलाहबोर्ड को सहायक अनुदान** शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु निम्नानुसार आबंटन आपके अधिकार में सौंपा जाता है :-

क्र.	व्यय शीर्ष	(हजार में)
	# 01 - वेतन भत्ते, आदि	
	001- वेतन	160000
	003- महंगाई भत्ता	20800
	005- आदिवासी क्षेत्र भत्ता	500
	006- मकान किराया भत्ता	4000
	008- नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	230
	014- अन्य भत्ता	7000
	015- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1500
	016- मानदेय	5000
	020- त्यौहार अग्रिम	1500
	021- घटाइये-वापसियां	-1500
	024- चिकित्सा अग्रिम	500
	025- घटाइये-वापसियां	-500
	मतदेय योग उद्देश्य **#-01**	**199030**
	# 03 - यात्रा भत्ता	
	001- यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	1500
	002- यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	2500
	006- अवकाश यात्रा सुविधा	500
	मतदेय योग उद्देश्य **#-03**	**4500**
	# 04 - कार्यालय व्यय	
	001- डाक तार पर व्यय	250
	002- दूरभाष पर व्यय	250
	003- फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	5000
	004- पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	300
	005- बिजली एवं जल प्रभार	800
	006- वर्दियां	350
	007- लिखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	700
	008- अन्य आकस्मिक व्यय	600

ATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RECEIVED 12 APR 2019
1244

क्रमशः...2...

1	2	3
	009- सूचना प्रौद्योगिकी	1000
	011- पेट्रोल तेल आदि	500
	013- किरायां, महसूल, कर	100
	मतदेय योग उद्देश्य #-04	9850
	# 05 - प्रशिक्षण	
	001- अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	100
	# 24 - अनुरक्षण कार्य	
	001- मोटर गाड़ी	500
	002- मशीनें तथा उपकरण	800
	मतदेय योग उद्देश्य #- 24	1300
	# 25 - सामग्री और पूर्तियां	
	004- गैर कार्यालयीन फर्नीचर	180
	# 86 - कोचिंग / प्रतियोगितायें	3100
	मतदेय योग योजना- 3255	218060

(इक्कीस करोड़, अस्सी लाख, साठ हजार) मात्र

कृपया उक्त राशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों के अनुरूप करने का कष्ट करें एवं व्यय पत्रक प्रतिमाह भिजवाना सुनिश्चित करें ।

छ.ग. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समितियाँ 2005 के प्रावधानों के तहत आय-व्यय की त्रैमासिक समीक्षा माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा की जानी है । अतः समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आय एवं व्यय की जानकारी तैयार कर प्रत्येक तिमाही के अगले माह के तारीख तक भिजवाना सुनिश्चित करें ।

03.4.19

(मनीष कुमार ठाकुर)
अतिरिक्त सचिव
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. /21-बजट(आबंटन)/छ.ग./19-20 अटल नगर रायपुर, दिनांक : /04/2019

प्रतिलिपि :

1. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर, को उनके ज्ञापन क्र. 01/04-04697/वित्त/ब-4/2019 अटल नगर, दिनांक 01.04.2019 के संदर्भ में,
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर,
3. निज सचिव, माननीय विधिमंत्री जी को माननीय विधिमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ,
4. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव (विधि) को माननीय प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
5. कोषालय अधिकारी, बिलासपुर
6. बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, अटल नगर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(के.डी.झारिया)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 492002

क्र. 3438 /21-बजट(आबंटन)/छ.ग./19-20 अटल नगर, दिनांक : /04/2019
प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : योजना कमांक 3255 - विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2019-20 हेतु आबंटन ।

--000--

विषयान्तर्गत मांग संख्या 29 - 4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, (800) - अन्य व्यय, 3255 - विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु निम्नानुसार आबंटन आपके अधिकार में सौंपा जाता है :-

क्र.	व्यय शीर्ष	(हजार में)
	# 34 - वाहनों का क्रय	
	001- प्रतिस्थापन	600
	003- हल्का वाहन	1200
	मतदेय योग उद्देश्य #-34	1800
	मतदेय योग योजना- 3255	1800

(अठारह लाख रूपये) मात्र

कृपया उक्त राशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों के अनुरूप करने का कष्ट करें एवं व्यय पत्रक प्रतिमाह भिजवाना सुनिश्चित करें ।

छ.ग. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समितियाँ 2005 के प्रावधानों के तहत आय-व्यय की त्रैमासिक समीक्षा माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा की जानी है । अतः समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आय एवं व्यय की जानकारी तैयार कर प्रत्येक तिमाही के अगले माह के तारीख़ तक भिजवाना सुनिश्चित करें ।

03.4.19
(मनीष कुमार ठाकुर)
अतिरिक्त सचिव
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. /21-बजट(आबंटन)/छ.ग./19-20 अटल नगर, दिनांक : /04/2019
प्रतिलिपि :

1. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर, को उनके ज्ञापन क्र. 01/04-04697/वित्त/ब-4/2019 अटल नगर, दिनांक 01.04.2019 के संदर्भ में,
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर,
3. निज सचिव, माननीय विधिमंत्री जी को माननीय विधिमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ,
4. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव (विधि) को माननीय प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
5. कोषालय अधिकारी, बिलासपुर
6. बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, अटल नगर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(के.डी.झारिया)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
CHHATTISGARH BILASPUR (C.G.)
1 3 APR 2019
RECEIVED 1043

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) – 492002

क्र. 5637/149/21-बजट(SLSA)/छ.ग./19-20 अटल नगर, रायपुर, दिनांक /06/2019

04 JUN 2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत 2019-20 के लिये मांग संख्या 29 - सामान्य उपयोजना मद में आवंटन बाबत् ।

--000--

राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिये सामान्य उपयोजना मद में प्रावधानित राशि का 40 प्रतिशत राशि रू. 20.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके अधिकार में सौंपा जाता है :-

1. स्वीकृत अनुदान के हिसाब महालेखाकार के जांच के लिए खुले रहेगें ।
2. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर वित्त निर्देश 18/2009 के अनुसार सनदी लेखापाल (C.A.) का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, (60) - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम, (200) - अन्य योजनाएं, 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य), (3255) - विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान, 14 - सहायक अनुदान, 012 - अन्य अनुदान शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा । कृपया उक्त राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों के अनुरुप करना सुनिश्चित करें ।

इस संबंध में वित्त विभाग के पंजीयन क्रमांक एफ-2019-21-00427/ब-3/चार दिनांक 31.05.2019 के माध्यम से सहमति प्रदान की गई है ।

4.6.19

(पंकज कुमार सिन्हा)
अतिरिक्त सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. /149/21-बजट(SLSA)/छ.ग./19-20 अटल नगर, रायपुर, दिनांक /06/2019

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
2. सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर,
3. निज सचिव, मान. विधि मंत्री को माननीय विधि मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ,
4. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव (विधि) को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
5. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सर्वर अनलॉक करने हेतु,
6. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर,
7. लेखा शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर कोषालय से राशि आहरण कर बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने हेतु,
8. बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Sahu/ Tiwari (Jr.) 17.6.19

(के.डी.झारिया)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
विधि और विधायी कार्य विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) – 492002

क्र. 6977/149/21-बजट(SLSA)/छ.ग./19-20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2019

प्रति,

11 JUL 2019

सदस्य सचिव,
छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत 2019-20 के लिये मांग संख्या 41 - अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में आवंटन बाबत् ।

--000--

राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिये अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में प्रावधानित राशि में से राशि रू. 28.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके अधिकार में सौंपा जाता है :-

1. स्वीकृत अनुदान के हिसाब महालेखाकार के जांच के लिए खुले रहेगें ।
2. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर वित्त निर्देश 18/2009 के अनुसार सनदी लेखापाल (C.A.) का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 41 - 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, (60) - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम, (200) - अन्य योजनाएं, 0102 - अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (5136) - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान, 14 - सहायक अनुदान, 012 - अन्य अनुदान शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा । कृपया उक्त राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें ।

इस संबंध में वित्त विभाग के पंजीयन क्रमांक एफ-2019-21-01650/ब-3/चार दिनांक 29.06.2019 के माध्यम से सहमति प्रदान की गई है ।

09.7.19

(मनीष कुमार ठाकुर)
अतिरिक्त सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. /149/21-बजट(SLSA)/छ.ग./19-20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2019

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
2. सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर,
3. निज सचिव, मान. विधि मंत्री को माननीय विधि मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ,
4. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव (विधि) को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
5. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सर्वर अनलॉक करने हेतु,
6. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर,
7. लेखा शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर कोषालय से राशि आहरण कर बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने हेतु,
8. बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

23.7.19

(के.डी.झारिया)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
विधि और विधायी कार्य विभाग

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
CHHATTISGARH
BILASPUR (C.G.)
23 JUL 2019
RECEIVED 1935

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) – 492002

क्र. 6978/149/21-बजट(SLSA)/छ.ग./19-20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2019

01 JUL 2019

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत 2019-20 के लिये मांग संख्या 64 - अनुसूचित जाति उपयोजना मद में आबंटन बाबत् ।

--000--

राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रावधानित राशि में से राशि रू. 14.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके अधिकार में सौंपा जाता है :-

1. स्वीकृत अनुदान के हिसाब महालेखाकार के जांच के लिए खुले रहेगें ।
2. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर वित्त निर्देश 18/2009 के अनुसार सनदी लेखापाल (C.A.) का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, (60) - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम, (200) - अन्य योजनाएं, 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना, (5136) - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान, 14 - सहायक अनुदान, 012 - अन्य अनुदान शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा । कृपया उक्त राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें ।

इस संबंध में वित्त विभाग के पंजीयन क्रमांक एफ-2019-21-01650/ब-3/चार दिनांक 29.06.2019 के माध्यम से सहमति प्रदान की गई है ।

09.7.19
(मनीष कुमार ठाकुर)
अतिरिक्त सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. /149/21-बजट(SLSA)/छ.ग./19-20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2019

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
2. सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर,
3. निज सचिव, मान. विधि मंत्री को माननीय विधि मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ,
4. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव (विधि) को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
5. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सर्वर अनलॉक करने हेतु,
6. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर,
7. लेखा शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर कोषालय से राशि आहरण कर बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने हेतु,
8. बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(के.डी.झारिया)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
विधि और विधायी कार्य विभाग

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
CHHATTISGARH
23 JUL 2019
RECEIVED. 1934